

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ ५६ /2019 दिनांक : 10 .04.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./09/2019 दिनांक 07.02.2019 के द्वारा डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 18.02.2019 से 22.03.2019 तक 33 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 17.02.2019 एवं 23.03.2019 से 24.03.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.03.2019 से 22.03.2019 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से  
*[Signature]* 09.4.19  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/83/2002/ 3491

दिनांक : 10.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 4384 दिनांक 25.03.2019 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
4. अपर जिला न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
5. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

*[Signature]* 10.4.2019  
सहायक रजिस्ट्रार